

राजस्थान सरकार  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जिला फलोदी  
दिनांक : 17/01/25  
कमांक : राजस्व/2025/ 283

—: आदेश :—

तहसीलदार घंटियाली जिला फलोदी के द्वारा रा.भू.अ. अधिनियम 1956 की धारा 131,132 व 136 के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 6 में से रकबा 0-11 बीघा किस्म बारानी-3, में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग आ रही भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु निवेदन किया गया है।

| कसं. | नाम ग्राम | खसरा नम्बर | कुल रकबा   | किस्म    | रास्ते में उपयोग हो रही भूमि | शेष रकबा (क्षेत्रफल) |
|------|-----------|------------|------------|----------|------------------------------|----------------------|
| 1    | चिमाणा    | 6          | 55-00 बीघा | बारानी-3 | 0-11 बीघा                    | 54-09 बीघा           |
|      | कुल       | 01         |            |          | 0-11 बीघा                    |                      |

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में पटवारी चिमाणा व भू.अ. निरीक्षक घंटियाली की रिपोर्ट एवं सलंगन रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रति एवं विभागीय परिपत्र कमांक : प. 3(17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 4(2) के आधार पर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी उपरोक्त खसरा नम्बर में विद्यमान कदीमी रास्ते के सम्बन्ध में से परिशिष्ट A के अनुरूप 0-11 बीघा भूमि की किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,136 व रा.भू.अ. 1957 के नियम 60(एच) के तहत तहसीलदार घंटियाली का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम चिमाणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खसरा नम्बर 6 में से कुल रकबा 0-11 बीघा भूमि को विभागीय परिपत्र कमांक: प.3(17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 के बिन्दु संख्या 4(2) के आधार पर किस्म गै.मु.रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा (लट्टा) ट्रेस में दुरुस्ती एवं राजस्व रेकॉर्ड में अमल करने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते हैं कि उक्त भूमि गै.मु.रास्ता दर्ज कर खातेदार की खातेदारी में दर्ज रखी जाकर नक्शे में तरमीम की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट पेश करें। किसी अन्य न्यायालय का स्थगन होने पर उसकी भी पालना की जावे। यह एक अपीलीय आदेश है जिसकी सक्षम न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी) (फलोदी)  
दिनांक : 17/01/25

कमांक : राजस्व/2025/ 284-287  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

1. श्रीमान जिला कलक्टर (भू.अ.) महोदय, फलोदी की सेवामें आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. तहसीलदार घंटियाली को पालनार्थ ।
3. भू.अ. निरीक्षक घंटियाली को पालनार्थ ।
4. पटवारी हल्का चिमाणा को रेकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही हेतु ।

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी) (फलोदी)